	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/24	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी न्यायालय द्वारा नोटिस तामील करवाने वाले के बजाय दावा खारिज किया जाता है तहसीलदार सोजत के वाद टिप्पणी रिपोर्ट तथा फौती पत्र मिले हैं। अधिवक्ता वादी ने सह खातेदार के हक में शुद्ध उपयोग (शपथ पत्र) दायर किये हैं, अतः मिसिल अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत करने नहीं कर दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद निर्णीत करने हेतु निवेदन किया। बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। प्रकरण संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है:- वादी द्वारा वाद पेश कर मय हद मौजा बागड़ी तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 532 से 535, 549 से 558 कुल खसरा 14 कुल रकबा 29.8200 हैक्टर में बतौर इन्तकाल उपपत्र का नाम लक्ष्मण, केलाश, और गंगाराम दर्ज कर दिया। वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मण, केलाशचन्द व गंगाराम नहीं होकर लक्ष्मण सिंह, केलाशचन्द व घेमन्द है, जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की इच्छुक थी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत वाद, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, फौतदार मय दस्तावेज तथा हकीक शुद्ध सह खातेदारों के शपथ पत्रों का अध्ययन कर बहस बकुलाया पर गौर कर मनन किया गया। पश्चात प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य, तहसीलदार सोजत की बाबतियाँ रिपोर्ट, तथा सह खातेदारों के प्रस्तुत हकीक शुद्ध शपथ पत्रों से वादीगण के सही व वास्तविक नाम लक्ष्मणसिंह, केलाशचन्द व घेमन्द पुत्र गंगाराम होने की सन्तुष्ट होती है। विद्वान वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। मय हद मौजा ग्राम बागड़ी चक 1 के खसरा नम्बर 532 से 535 तथा 549 से 558 कुल उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खसरा 14 कुल रकबा 23.3200 हेक्टेयर कृषि भूमि में वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम लक्ष्मणसिंह, कैलाशचन्द व घेवरचन्द गहलोत, पुत्रगण स्व. लच्छाराम, केवलराम व हगलाराम के स्थान पर दुरुस्त कर के इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है। डिक्री पर्चा अधीन दो निर्णय की प्रति वास्ते कार्यवाही सचिव। बाद पालना पत्रावली केवल कुमार होकर नम्बर से कम हो। (कुसुमलता बोहरा) उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)
	निर्णय आज दिनांक 4/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे इजलास सुनाया गया। (कुसुमलता बोहरा) उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)